

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग
पत्रांक: 36/नि0स0-स0/चि0स्वा0चि0शि0सि0ल0सि0वि0/2025
देहरादून: दिनांक- 15 अप्रैल 2025


1. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।

विषय: डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्ययोजना विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि विगत वर्षों से डेंगू रोग राज्य में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग का वेक्टर एडिज मच्छर है। इसी क्रम में आगामी माहों में डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग के प्रसारित होने की सम्भावना को देखते हुए डेंगू रोग रोकथाम किये जाने हेतु निम्न कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करें:

1. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की समुचित रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य समस्त विभागों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। समस्त विभागों द्वारा डेंगू रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां समयान्तर्गत की जायें। डेंगू मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए की जाने वाली समस्त गतिविधियां समस्त विभाग निरन्तर करते रहें ताकि डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जा सके और इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरन्तर प्राप्त की जाए।
2. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग पर रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ब्लाक वार Micro Plan बनाकर कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करें व उक्त माइक्रोप्लान राज्य एन0वी0बी0डी0सी0पी0 यूनिट को प्रेषित किये जायें।
3. नगर निगमों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाये ताकि डेंगू रोग के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।
4. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग पर नियंत्रण हेतु लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) एक कारगर व उपयुक्त उपाय है, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने जनपदों में नगर निगम/नगर पालिका एवं अन्य विभागों के सहयोग से आशा कार्यकर्त्री को समिलित कर टीमें बनाकर क्षेत्र में सक्रिय रूप से सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही करेंगे।
5. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग को महामारी का रूप लेने से रोकने के लिए नगर निगम/नगर निकाय द्वारा आवश्यकतानुसार फॉगिंग की जाये।
6. जनजागरूकता व जनसहभागिता हेतु आई0ई0सी0 संसाधनों का समुचित व समयान्तर्गत उपयोग करें।
7. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों जैसे नगर निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य एवं शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम आदि के सहयोग व अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जनपद स्तर पर बैठकों का समय से आयोजन किया जाए व उनके कार्यवृत्त राज्य एन0वी0बी0डी0सी0पी0 यूनिट को प्रेषित किये जायें।
8. डेंगू के उपचार एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार की गाईडलाइन "National Guidelines for Clinical Management of Dengue fever"(संलग्न) को समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालायां/चिकित्सकों को आवश्यक कार्यवाहियों हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. जनपदों के चिकित्सालयों (जिला/बेस व मेडिकल कालेज) में भारत सरकार की गाईडलाइनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही जैसे पृथक डेंगू आइसोलेशन वार्डतैयार करमच्छरदानी (LLIN) युक्त पर्याप्तबेड की उपलब्धता, Standard Case Management आदि सुनिश्चित करें एवं डेंगू आइसोलेशन वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामित करें।
10. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोगियों के समुचित प्रबन्धन हेतु अपने जनपद में चिकित्सा केन्द्रों को पूर्ण रूप से कार्यशील रखें व उनमें पर्याप्त स्वास्थ्य मानव संसाधन जैसे चिकित्सक, नर्स आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रखें।
11. डेंगू पीडित गम्भीर रोगियों (DHF/DSS) हेतु Platelets की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
12. डेंगू जांच केन्द्रों में समय से आवश्यक सामग्री जैसे ELISA जांच किट व अन्य जांच सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
13. डेंगू रोगियों की शुरुआती चरण में पहचान हेतु फीवर सर्वे किये जायें, लक्षणों के आधार पर डेंगू रोग की संदिग्धता होने पर जांच की जाये।



14. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोगी पाये जाने की स्थिति में रोगी के घर के आस-पास लगभग 50 घरों की परिधि में आवश्यक रूप से Space/Focal Spray कराने के साथ साथ जनपदीय आर0आर0टी0 द्वारा क्षेत्र में सघन फीवर सर्विलेन्स एवंलार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) कराएँ।
15. डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम के लिए आम जनमानस का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है व जन जागरूकता ही एक कारगर उपाय है। अतः आप अपने स्तर से प्रभावी प्रचार प्रसार करवायें। प्रचार प्रसार सामग्री की साफ्ट प्रति संलग्न।
16. स्वास्थ्य विभाग व आई0एम0ए0 प्रतिनिधियों/निजी चिकित्सालयों/पैथोलोजी लैबों के मध्य समन्वय बैठक (CME Meeting/Workshop) की जाये ताकि आमजन में डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग के प्रति व्यापत भ्रान्ति/भय को दूर किया जा सके।
17. किसी भी प्रकार की आकस्मिक/आपातकालीन आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला कार्ययोजना मे भी डेंगू के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाये।
18. मीडिया को डेंगू एवं चिकनगुनिया सम्बन्धित संवेदनशील सूचनायें व सकारात्मक जानकारी सम्बोधित करने हेतु जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के किसी एक अधिकारी को Media Spokes person अधिकृत किया जाये।
19. जनमानस को डेंगू सम्बन्धित जागरूकता एवं समुचित जानकारी प्रदान करने के लिये राज्य मुख्यालय पर Integrated Helpline क्रियाशील है जिसका टोल फ्री नं० 104 है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर डेंगू के संक्रमण काल के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित कर उक्त दूरभाष न० से राज्य एन०वी०बी०डी०सी०पी० यूनिट को अवगत करायें।
20. डेंगू एवं चिकनगुनिया की दैनिक रिपोर्ट (केस शून्य होने पर भी) संलग्न प्रारूप पर सायं 4:00 बजे तक नियमित रूप से राज्य स्तर पर E-mail- uknvdcp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।
अतः उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक यथोपरि।

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
सचिव

पत्र संख्या : ३६
प्रतिलिपि:-

तददिनांकित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी एन०वी०बी०डी०सी०पी०।
7. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
8. सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
सचिव 15/11/2025